ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली– 110002

फ0 सं0 21–1–2015 (एफडी –आई/बी) दिनांक : 22.09.2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

सरकारी तथा गैर– सरकारी सदस्यों/ विशेषज्ञों को देय यात्रा भत्ता तथा बैठक शुल्क

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 16 मार्च, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21–1/2015 (एफडी– आई/बी) का अधिक्रमण करते हुए सरकारी तथा गैर– सरकारी सदस्यों/ विशेषज्ञों को देय यात्रा भत्ता तथा बैठक शुल्क निम्नानुसार होगाः–

सरकारी तथा गैर– सरकारी सदस्यों की श्रेणियां निम्नानुसार हैः–

राज्य/ केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारी, आंशिक रूप से सरकारी/ स्वायत्तशासी निकायों के सेवारत कर्मचारी जिन्हें भारत की संचित निधि अथवा अनुदान– सहायता के माध्यम से भुगतान किया जाता है, उन्हें **<u>सरकारी सदस्य</u>** माना जाता है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा विश्वविद्यालयों, संस्थानों, बोर्डों तथा सोसायटियों आदि के पूर्व– सदस्यगणों सहित सभी अन्य व्यक्तियों को **<u>गैर– सरकारी सदस्य</u>** माना जाएगा।

<u>कृपया ध्यान दें</u>

" सदस्यगण/ विशेषज्ञ द्वारा बिल भरते समय आयकर प्राधिकरणों द्वारा आबंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा।" सदस्य के बैंक खाते में अनिवार्य रूप से ई– पद्धति के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसलिए, विशेषज्ञों को अपने दावों के साथ रद्द किए हुए चेक की प्रति लगानी होगी।

1. बैठक शुल्क

1. किसी एक दिन होने वाली बैठकों की संख्या के अनपेक्षतः अधिकतम 5,000/– रुपए प्रति दिवस के अध्यधीन प्रति दिवस प्रति बैठक के लिए 3,000 रुपए ।

2. संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ संगठनों में विभिन्न समितियों के निरीक्षण/ दौरों के लिए प्रति दिन 5,000 रुपए।

3. आयोग की बैठकों के दौरान आयोग के सदस्यगण, प्रति दिन 5000/– रुपए के बैठक शुल्क के लिए भी हकदार होंगे।

<u>कृपया ध्यान दें</u>

1. बैठक शुल्क का भुगतान स्रोत पर कर कटौति करके किया जाएगा।
2. भारत सरकार के अधिकारीगण जिन्हें सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है वे बैठक शुल्क के हकदार नहीं होंगे क्योंकि वे सरकारी/ सचिव नामिति अथवा पदेन आधार पर आधिकारिक क्षमता में बैठक में भाग लेते हैं।

2. **यात्रा भत्ता**

बाह्य स्थानों से आने वाले सदस्यगण/ विशेषज्ञ :

(i) हवाई मार्ग द्वारा यात्रा : सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व, जैसा भी मामला हो, हकदारी के अनुसार ही सदस्यगण (सरकारी तथा गैर– सरकारी सदस्यगण) यात्रा करने के हकदार होंगे। ऐसे सदस्यगण जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हों, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन पर हवाई यात्रा के लिए हकदार होंगे। जिन क्षेत्रों में एअर इंडिया अपनी सेवाएं प्रदान करती है उन क्षेत्रों में हवाई यात्रा एअर इंडिया द्वारा की जाएगी। अन्य क्षेत्रों में निजी विमान कंपनियों द्वारा यात्रा की अनुमति दी जाएगी। उक्त नियमों में किसी भी प्रकार के फेर–बदल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। ऐसे सदस्यगण/ विशेषज्ञ जो हवाई यात्रा के हकदार हैं वे अमुक क्षेत्र के हवाई मार्ग से जुड़े नहीं होने की स्थिति में हेलीकाप्टर से यात्रा कर सकते हैं। तथापि, चार्टर हेलीकाप्टर की सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। हवाई यात्रा/ हेलीकाप्टर द्वारा की गई किसी भी यात्रा के प्रतिपूर्ति दावे के लिए मूल बोर्डिंग कार्ड होना अनिवार्य है।

(ii) रेलमार्ग द्वारा यात्रा : सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व, हकदारी के अनुसार ही सदस्यगण राजधानी एक्सप्रेस/ शताब्दी ऐक्सप्रेस सहित सभी रेलगाड़ियों से यात्रा करने के हकदार होंगे।

<u>कृपया ध्यान दें</u>

(क) हवाई यात्रा हेतु टिकट की व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यात्रा डेस्क द्वारा की जाएगी जबकि रेलगाड़ी द्वारा यात्रा के लिए विशेषज्ञ को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(ख) बैठक के रद्द होने अथवा स्थगित होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा टिकट के रद्द करने /किसी अन्य तिथि के लिए टिकट को पुनःनिर्धारित {क्रम संख्या 2(i) तथा (ii) क लिए} करने हेतु प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी राशि के दावे की प्रतिपूर्ति हेतु विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(iii) एक शहर से दूसरे शहर के बीच यात्रा करने के लिए बाह्रय स्थान से आए हुए सदस्यगण/ विशेषज्ञों को उनके निवास स्थान/ कार्यालय स्थल से बैठक के स्थान तथा वापिस निवास स्थान/ कार्यालय स्थल तक अथवा निवास स्थान तथा बैठक के स्थल के बीच तथा वापसी के लिए (जो एक तरफ 350 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए) अपने स्वयं के वाहन अथवा टैक्सी द्वारा यात्रा कर सकते हैं। अपने स्वयं के वाहन द्वारा की गई यात्रा के लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य जमा करना होगा। यदि किराए पर की गई टैक्सी की रसीद दी जानी हो तो, सड़क मार्ग द्वारा से दूरी के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर अथवा वास्तव में भुगतान की गई राशि, इनमें से जो भी कम हो, की अनुमति स्थान दर स्थान आधार पर दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में की गई यात्रा के लिए, वास्तविक व्यय के अध्यधीन तय की गई दूरी को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। रात्रि विश्राम अथवा ड्राइवर भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट मार्ग में टॉल प्लॉजा हो तो टैक्सी/ कार के प्रतिपूर्ति दावे के साथ टॉल प्लॉजा अथवा अंतर्राज्यीय प्रवेश कर की रसीद लगाने पर ही यह दावा स्वीकार्य होगा । ऐसे मामलों में पथकर अथवा अंतर्राज्यीय प्रवेश कर की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

यदि दूरी 350 किलोमीटर से अधिक (एक तरफ) हो तो उस विशिष्ट सड़क मार्ग द्वारा दूरी को 350 किलोमीटर तक सीमित किया जाएगा अथवा हकदारी के अनुसार रेल के किराए अथवा उस विशिष्ट सड़क मार्ग पर उपलब्ध वातानूकूलित बस का किराए तक सीमित किया जाएगा (विशेषज्ञ के चयन के अनुसार) ।

(iv) विशेषज्ञ के निवास स्थान/ कार्यालय से विमानपत्तन/ रेलवे स्टेशन/ बस अड्डे तथा बैठक के स्थान से विमानपत्तन/ रेलवे स्टेशन/ बस अड्डे तक राज्य में लागू राज्य यातायात प्राधिकरण (एसटीए) की लागू दरों के अनुसार स्थानीय टैक्सी के किराए का भुगतान किया जाएगा। उस स्थिति में जहां राज्य यातायात प्राधिकरण द्वारा किन्हीं भी दरों का निर्धारण नहीं किया गया हो वहां टैक्सी अथवा स्वयं की कार के किराए के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। रसीद जमा किए जाने पर प्री– पेड अथवा पोस्ट– पेड टैक्सी के किराए (पथकर सहित) की स्थान दर स्थान आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। संपूर्ण दिवस हेतु टैक्सी के किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(v) यदि सड़क मार्ग द्वारा/ टैक्सी अथवा स्वयं की कार द्वारा रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के बीच यात्रा प्रारंभ की गई हो तो 25 प्रतिशत अतिरिक्त की दर से रात्रि प्रभार की अनुमति प्रदान की जाएगी । (क्रम संख्या 2 (iv) के लिए)

स्थानीय विशेषज्ञ

स्थानीय विशेषज्ञों को विशेषज्ञ के निवास स्थान/ कार्यालय से बैठक के स्थान तक तथा वापसी के लिए स्थान दर स्थान आधार पर 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टैक्सी अथवा स्वयं की कार द्वारा की गई यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। संपूर्ण दिवस हेतु टैक्सी के किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

3. दैनिक भत्ता

(i) बाह्य स्थान से आए हुए सदस्य/ विशेषज्ञ :

विशेषज्ञों पर खान– पान और ठहरने आदि के लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी:

क्रम संख्या	**वर्गीकरण**	**खान– पान के लिए प्रति दिवस दरें (रुपए में)**	**ठहरने के लिए प्रति दिवस दरें (रुपए में)**
1.	10,000 रुपए के ग्रेड वेतन अथवा शैक्षणिक ग्रेड वेतन अथवा पे–लेवल 14 अथवा उससे अधिक के पे–लेवल में कार्यरत/ सेवानिवृत्त विशेषज्ञ	1200/–	7500/–
2.	7600 रुपए के ग्रेड वेतन अथवा शैक्षणिक ग्रेड वेतन अथवा 12, 13 और 13–क के पे–लेवल में कार्यरत विशेषज्ञ	1000/–	4500/–
3.	7600 रुपए से कम के ग्रेड वेतन अथवा 5400 रुपए के ग्रेड वेतन अथवा शैक्षणिक ग्रेड वेतन अथवा 9 से 11 के पे–लेवल में कार्यरत विशेषज्ञ	900/–	2250/–
4.	5400 रुपए से कम के ग्रेड वेतन अथवा शैक्षणिक ग्रेड वेतन अथवा 9 से कम के पे–लेवल में कार्यरत विशेषज्ञ	800/–	750/–

*1. ठहरने हेतु प्रभार किए गए वास्तविक व्यय की रसीदों को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन ग्राह्य हैं।

2. स्व– प्रमाणन के आधार पर खान– पान पर किए गए प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. यदि ठहरने की व्यवस्था स्वयं की गई हो तो ठहरने हेतु प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. भारत सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ाए जाने पर खान– पान और ठहरने हेतु दरों को 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया जाएगा।

(ii) स्थानीय सदस्यगण/ विशेषज्ञ :

स्थानीय सदस्यगण/ विशेषज्ञों को खान– पान और ठहरने हेतु किसी प्रभार की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी/ कर्मचारी एफआर/ एसआर (टीए) नियमों के तहत शासित होते हैं इसलिए, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
5. इसे दिनांक 19 सितम्बर, 2017 की डायरी संख्या 32811 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय के अनुमोद से जारी किया गया है।

ह0/–
(पी0 के0 ठाकुर)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय के निजी सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्त सलाहकार के निजी सचिव/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एएस–I के निजी सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो प्रमुखों/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी उप– सचिव/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अवर सचिव/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षा अधिकारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अनुभागों/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन अधिकारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई– कार्यालय पोर्टल